रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2404] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2015/कार्तिक 13, 1937
No. 2404] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2015/KARTIKA 13, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2015

का.आ. 3010(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: यह घोषणा कि असम राज्य और असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाएगा, असम राज्य एवं उपर्युक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर आगे बढ़ाई गई।

और यत: असम और असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

(i) भूमिगत संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है;

(ii) जनवरी से सितम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान, भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 66 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(iii) इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं;

(iv) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया (यू एन एल एफ डब्ल्यू) का गठन अप्रैल, 2015 में किया गया है, और इसके दो घटक अर्थात उल्फा (आई) और एन डी एफ बी (एस) अपनी मारक क्षमता दिखाने के लिए जोरदार प्रयास कर रहे हैं तथा वे राज्य में संयुक्त प्रचालनों पर विचार कर रहे हैं;

(v) म्यांमार में आई आई जी शिविरों में अपने काडरों की वित्तीय एवं अन्य संभारतंत्र सहायता प्रदान करके नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) एन एस सी एन (के) और उल्फा (आई), एन डी एफ बी (एस) तथा यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (यू पी एल एफ) के बीच बढ़ता संबंध चिंताजनक प्रगति के रूप में देखा जाता है;

(vi) अंतर राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों, जो विरल रूप से बसे हैं और जहां कठिन एवं घने वन एवं पर्वतीय भू-भाग का विशाल क्षेत्र है, में उल्फा (आई), एन डी एफ बी (एस), यू पी एल एफ, जी एन एल ए, के पी एल टी, यू ए एल ए, एन एस सी एन (आई/एम), एन एस सी एन (के), एन एल सी टी एवं और ए ए एन एल ए सहित विभिन्न विद्रोही समूहों रहते हैं।

अब, अत: सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 3.11.2015 के बाद एक वर्ष तक 'अशांत क्षेत्र' बने रहेंगे जब तक कि इसे इससे पहले वापिस न किया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन ई-IV]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFARIS

NOTIFICTION

New Delhi, the 4th November, 2015

S.O. 3010(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 *vide* Notification SO 916(E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared, besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam shall be a 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and the aforesaid area.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and the 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering Assam indicate the following:—

(i) The law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits;

(ii) During the period January to September 2015, the Under Ground Outfits were involved in 66 incidents of violence in Assam which resulted in the killing of 7 persons;

(iii) The militant outfits operating in the area continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort money from the people;

(iv) United National Liberation Front of Western South East Asia (UNLFW) has been formed in April, 2015, and two of its constituents viz ULFA(I) and NDFB(S) have been desperately

making efforts to exhibit their striking capabilities and are contemplating joint operations in the state;

(v) The growing association of National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) NSCN(K) with ULFA(I), NDFB(S) and United Peoples Liberation Front (UPLF) by providing financial and other logistic support to their cadres in the IIG camps in Myanmar, is noted as disturbing development;

(vi) The inter-state boundary areas, sparsely populated with large stretches of difficult and densely forested hilly terrain accommodate various insurgent groups including ULFA(I), NDFB(S), UPLF, GNLA, KPLT,UALA,NSCN(I/M), NSCN(K), NLCT and AANLA.

Now, therefore, the entire State of Assam and the 20 kms belt in the State of Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto one year beyond 3.11.2015, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.